International Journal of Applied Research 2021; 7(10): 387-390

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2021; 7(10): 387-390
www.allresearchjournal.com
Received: 27-08-2021
Accepted: 30-09-2021

अनिता कुमारी
शोध छात्रा, स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया बिहार, भारत।

Corresponding Author:
अनिता कुमारी
शोध छात्रा, स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया बिहार, भारत।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

अनिता कुमारी

प्रस्तावना:

''यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवताः'' अर्थात जहाँ नारियों को सम्मान दिया जाता है, वहाँ साक्षात् देवता निवास करते हैं। यह वेद का वाक्य है। हमारे वेदों में स्त्री को उच्च स्थान प्राप्त है। इसके बावजूद सदियों से स्त्री घोर अन्याय, अत्याचार और शोषण से जूझ रही हैं। हमारा देश पौराणिक संस्कृति के साथ–साथ महिलाओं के सम्मान और इज्जत के लिए जाना जाता है। समय बदला, सोंच बदली और बेटियों के साथ व्यवहार बदल गया। लोगों की सोंच इस कदर बदल गयी कि कन्या भ्रूण हत्या और शोषण जैसे मामले आए दिन देखने और सुनने को मिलते हैं। इससे पिछड़ी मानसिकता का खामियाजा हमारा देश भुगत रहा है। स्वामी विवेकानन्द ने कहा था कि जिस देश में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, उस देश की प्रगति कभी नहीं हो सकती। समाज में बेटियों की हो रही दुर्दशा और लगातार घट रहे लिंगानुपात समाज के लोगों की संकीर्ण मानसिकता का सबूत है। हमारा समाज बेटी–बेटा के प्रति फैली असमानता की भावना का नतीजा ही है कि आज कन्या भ्रूण हत्या और बलात्कार जैसी घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यह दुखद स्थिति है। समाज को यह समझने की जरूरत है कि आदमी औरत दोनों की समान भागीदारी के बिना मानव जाति का अस्तित्व संभव नहीं है। देश के विकास के लिए दोनों को समान रूप से अपनी भूमिका निभानी होगी।

इसप्रकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अर्थात् कन्या शिशु को बचाओ और इन्हें शिक्षित करों की योजना जागरूकता निर्माण एवं महिला कल्याण में सुधार करने के लिए आरम्भ किया गया है। भारतीय समाज में सकारात्मक सुधार के लिए यह योजना बहुत ही प्रभावकारी है। संकीर्ण सोच पर यह योजना आक्रमण करती है। बेटियों की शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था की जा रही है। लोगों की सोंच को बदलने के लिए इस योजना का प्रचार–प्रसार किया जा रहा है ताकि लोग अपने बेटे एवं बेटियों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करें। यह योजना यह बताती है कि बेटियों को भी अपना जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है। भारत के प्रत्येक नागरिक को कन्या शिशु बचाने के साथ–साथ इनका समाज में स्तर सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए। लड़कियों को उनके माता–पिता द्वारा लड़कों के समान समझा जाना चाहिए। उन्हें सभी कार्य क्षेत्र में समान अवसर दिया जाना चाहिए। इसी अवधारणा को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2021 को यह घोषणा की है कि सैनिक स्कूलों में अब देश की बेटियां भी एडमिशन ले सकेंगी। देश के सभी सैनिक स्कूलों को देश की बेटियों के लिए खोल दिया गया है।

ऐसा कहा जाता है कि जब एक बालक को पढ़ाया जाता है तो केवल एक इन्सान ही शिक्षित होता है जबकि बालिका को पढ़ाने से दो–दो परिवार साक्षर होते हैं। साक्षर महिला अपने बच्चे का चरित्र निर्माण करती है और अनेकों तरह के किरदार में अपनी भूमिका निभाती है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, योजना लिंग समानता की दिशा में परिवर्तनकारी पहल है। हरियाणा में 1000 पुरूषों के लिए लिंग अनुपात 950 महिलाओं तक पहुंच गया है। यहाँ के आंकड़ें काफी चिन्ताजनक है। इस योजना का परिणाम हरियाणा में दिखाई देने लगा है। सरकार का उद्देश्य इस योजना के द्वारा महिलाओं को शिक्षित बनाना है, उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी है और इस तरह समाज को जागरूक बनाना है। यह योजना पुरानी धारणाओं एवं प्रथाओं को समाप्त करने की दिशा में प्रयत्नशील है। अतएव इस योजना के माध्यम से सरकार ने महिला विकास पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया है।

इस प्रकार केन्द्र सरकार ने महिला सशक्तीकरण को लेकर कई कदम उठाए हैं जिनमें बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ भी एक मजबूत कदम है। महिलाएं राष्ट्र की प्रगति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और सरकार उनके योगदान और क्षमता को पहचानती है। महिलाओं की दीर्घकालिक संभावनाओं को सुधारने के लिए एवं शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कई पहल की गई है। लिंग आधारित

कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। वे सारे अधिकार जो पुरूषों को प्राप्त है, वह महिलाओं को प्राप्त होना चाहिए। इनकी सशक्तिकरण के लिए यह प्रयास किया जा रहा है कि वे अपने जीवन के हर क्षेत्र में स्वयं निर्णय करने के लिए सक्षम हों।

महिलाएं समाज की रीढ़ की हड्डी होती है। ये सक्षम बनकर कई भूमिकाओं में हमारे चारो तरफ खड़ी हैं। आज महिलाएं स्वावलम्बी बनकर घर एवं परिवार की सहायता कर रही है। कंधे से कंधा मिलाकर न्यू इण्डिया बनाने में बेहतर तरीके से सहभागी बन रही हैं। पहली बार महिला लड़ाकू पायलटों को भारतीय वायु सेना में नियुक्त किया गया है। इसतरह महिलाएं परिवर्तन का हिस्सा बनकर लैंगिक पूर्वाग्रह एवं असमानता जैसी विचारों पर प्रहार करते हुए आगे बढ़ चुकी हैं। अतः महिलाएं आज पुरूषों के समान अधिकारों का आनंद ले रही हैं।

लिंग सामाजिक–सांस्कृतिक शब्द है। यह समाज में पुरूषों और महिलाओं के कार्यों और व्यवहारों को परिभाषित करता है। सेक्स शब्द आदमी और औरत को परिभाषित करता है। सेक्स मानव की जैविक विशेषता है। अपने सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं में, लिंग पुरूष और महिलाओं के बीच शक्ति के आधार पर कार्य से संबंध है। भारतीय समाज में पुरूष को महिला से श्रेष्ठ माना जाता है। हमारे यहां बेटा होने पर जश्न मनाया जाता है और बेटी के जन्म पर हम शान्त हो जाते हैं। साधारण कार्यक्रम से काम चला लिया जाता है। बेटी के पैदा होने पर हम गर्व महसूस नहीं करते हैं। यहीं से शुरू होती है, सामाजिक विषमता, सामाजिक असमानता, भेदभाव। लैंगिक आधार पर जन्म के साथ हीं भेदभाव शुरू हो जाता है।

अतः लैंगिक असमानता का अभिप्राय है, लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव। परम्परागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता है। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव दुनिया में हर जगह प्रचलित है। 21वीं शताब्दी में भी यही हालत है। इनके साथ भेदभाव और शोषण परिवार और समाज दोनों जगह है। हमारे देश में लैंगिक भेदभाव की जड़े काफी गहरी हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत 153 देशों में 112वें स्थान पर है।

लैंगिक असमानता को विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है। लैंगिक विषमता इनके कार्य के क्षेत्रों को निर्धारित करता है। प्रायः भारतीय समाज में महिलाओं को गृह कार्य के अनुकूल माना जाता है। घर में महिलाओं का मुख्य कार्य भोजन की व्यवस्था, साफ–सफाई एवं बच्चों के लालन–पालन तक सीमित है। यहां तक कि विभिन्न तरह के निर्णयों में महिलाओं की भूमिका सीमित है। विभिन्न तरह के सामाजिक संगठनों में भी महिलाओं की न्यूनतम संख्या है।

लैंगिक असमानता के विभिन्न क्षेत्र

- सामाजिक क्षेत्र – घर में महिलाओं का काम खाना–पीना की व्यवस्था करना एवं बच्चों का लालन–पालन करना एवं उनका ध्यान रखना है। पारिवारिक निर्णयों में इनकी भूमिका सीमित होती है।
- आर्थिक क्षेत्र – महिला और पुरूष के पारिश्रमिक में अंतर देखा जाता है। महिलाओं को पुरूषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है। रोजगार के क्षेत्र में पुरूषों को ही प्राथमिकता दी जाती है।
- राजनीतिक क्षेत्र – यहाँ तो स्थिति बहुत हीं बुरी है। प्रत्येक पार्टी लोकतंत्र एवं समानता की बात करती है। लेकिन, व्यवहार में स्थिति बिल्कुल उलट है। चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। ना ही इन्हें प्रत्याशी बनाया जाता है और न हीं प्रमुख पदों पर इनको बैठाया जाता है।
- वैज्ञानिक क्षेत्र – यहां भी स्पष्ट लैंगिक विषमता मौजूद है। इन्हें कम महत्व के प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय ए.पी.जे. अब्दुल कलाम से सभी परिचित हैं, लेकिन मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस के नाम से हम परिचित नहीं है।
- मनोरंजन क्षेत्र – मनोरंजन के क्षेत्र में भी महिलाओं के साथ बहुत ही भेदभाव है। उनका शोषण किया जाता है और पारिश्रमिक भी अभिनेताओं की तुलना में कम है।
- खेल क्षेत्र – पुरूषों के खेलों का प्रसारण महिलाओं के खेलों से ज्यादा है। क्रिकेट का खेल हो या कोई अन्य, उनके साथ भेदभाव किया जाता है।

महिलाओं के साथ शोषण भारतीय समाज की सदियों पुरानी सांस्कृतिक घटना है। भारतीय समाज में लिंग असमानता का मूल कारण इसकी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में निहित है। धार्मिक मान्यताओं, अशिक्षा एवं गरीबी के कारण भी समाज में इनका स्तर निम्न है। अतः महिलाओं के साथ घर एवं बाहर में विभिन्न स्तरों पर भेदभाव का व्यवहार किया जाता है।

आज भी महिलाओं को जिम्मेदारी समझा जाता है। महिलाओं को विभिन्न तरह के रूढ़ियों के कारण विकास के कम अवसर मिल पाते हैं। पारिवारिक सम्पत्ति में व्यावहारिक स्तर पर महिलाओं को हिस्सा देने का प्रचलन नहीं है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में स्त्री श्रम शक्ति और कार्य सहभागिता दर कम है। यह स्थिति महिलाओं की आत्म निर्भरता में बाधक है। महिलाओं की कार्य सहभागिता दर में गिरावट देखी जा सकती है। कुछ राज्यों में विपरीत स्थिति है। यहां कार्य सहभागिता दर में सुधार है।

महिलाओं द्वारा किए गए कार्यों की अंडर–रिपोर्टिंग होती है। महिलाओं के अवैतनिक कार्यों को सकल घरेलू उत्पाद में शामिल नहीं किया जाता है।

उच्च शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में पुरूषों की तुलना में महिलाओं का नामांकन कम है।

सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत से संवैधानिक सुरक्षात्मक कानून बनाए हैं। इन उपायों के बावजूद महिलाओं के प्रति पुरूष समाज का नजरिया व्यवहार में अलग है। आज के आधुनिक समाज में भी दहेज प्रथा एवं कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराई मौजूद है। इन सामाजिक बुराईयों के कारण भी इनकी सामाजिक प्रस्थिति प्रभावित होती है और सामाजिक असमानता को बढ़ावा मिलता है।

पुरूष एवं महिलाओं के सामूहिक प्रयासों से ही लिंग असमानता की समस्या का हल संभव है क्योंकि महिलाएं भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था का अंग बन चुकी है। व्यवहार में महिलाएं इसे पोषित करती हैं। अतः वास्तविक बदलाव के लिए सोंच में परिवर्तन अनिवार्य है।

लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए कानूनी प्रावधानों के अतिरिक्त महिला सशक्तीकरण तथा शिशु कल्याण के लिए किए जाने वाले धन आवंटन के उल्लेख को जेंडर बजटिंग कहा जाता है। इसके द्वारा सरकारी योजना का लाभ महिलाओं तक पहुंचाया जाता है। कई योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का प्रयास किया जा रहा है। जैसे– बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं, वन स्टाप सेंटर योजना, महिला हेल्प लाइन योजना महिला शक्ति केन्द्र इत्यादि योजनाओं के क्रियान्वयन से लिंगानुपात को कम करने की कोशिश की जा रही है। जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मातृत्व अवकाश के कानून सरकारी एवं निजी क्षेत्र में भी सख्ती से लागू किया गया है। इसतरह विभिन्न सामाजिक सुधारों में एवं जेंडर बजटिंग के माध्यम से लैंगिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना की वजह कन्या भ्रूण हत्या है। इसके कारण तेजी से लिंगानुपात घटती जा रही है। परिणामस्वरूप अनेक सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसी लिंगानुपात को सुधारने के लिए सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरूआत की है।

क्या भ्रूण हत्या जन्म से पहले लड़कियों को मार डालने की क्रिया है। लिंग परीक्षण जांच की जाती है और मां के गर्भ में ही कन्या की हत्या कर जाती है। गर्भपात करा दिया जाता है। ऐसा घृणित कार्य ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा की जाती है। वैसे भारतीय समाज में लड़कियों को मारने की प्रथा सदियों से रही है। लोगों की मान्यता है कि लड़का परिवार के वंश को जारी रखता है। यह दुखद स्थिति है कि छोटी–सी बात नहीं समझते हैं कि लड़कियां ही शिशु को जन्म देती हैं।

प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण लोगों के जीवन से जुड़ी ऐसी स्थिति है कि उस तक कानून की पहुंच और कानून के दखल को व्यावहारिक बना पाना बहुत सारे मामलों में बहुत कठिन है। भ्रूण के लिंग परीक्षण के बहुत ही कम मामले संज्ञान में आ पाते हैं। प्रायः पति–पत्नी की परस्पर सहमति से ये परीक्षण इतने गुप्त ढंग से करवाए जाते हैं कि पड़ोसियों तक को इसकी भनक नहीं लगती है। इतना ही नहीं परिवार के भीतर भी अन्य सदस्यों को इसकी जानकारी नहीं दी जाती है। गली–मुहल्लों में ऐसे क्लीनिक की भरमार है, जहां परीक्षण करने में कोई कठिनाई नहीं है। अतएव ऐसी स्थिति में कितना मुश्किल है कानून के द्वारा इस समस्या का समाधान करना।

कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाने के लिए 1994 में गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम नामक कानून बनाया गया। इस कानून के अन्तर्गत लिंग परीक्षण में सहयोग करने को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। सजा का प्रावधान किया गया है। लेकिन, कन्या भ्रूण परीक्षण व हत्या पर अंकुश लगा पाना संभव नहीं हो पाया है। कन्या भ्रूण हत्या का सिलसिला जारी है। नीति आयोग की रिपोर्ट के आंकड़े भी इसी तथ्य की पुष्टि करते हैं। अतएव केवल कानून के बल पर इस समस्या का समाधान संभव नहीं है।

कन्या भ्रूण हत्या एक अनैतिक कार्य है, लेकिन सामाजिक–आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारणों के वजह से कन्या भ्रूण हत्या होती रही है। सबसे बड़ी बात है कि संतान में बालक शिशु की प्राथमिकता पुत्र आय का मुख्य स्त्रोत होता है। लड़कियों को उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाता है। लड़कियां यदि आय अर्जित करती हैं तो माता–पिता उसकी आमदनी का उपयोग करना पाप समझते हैं। बेटी को पराया धन माना जाता है। उसकी आय को माता–पिता द्वारा उपभोग को समाज मान्यता नहीं देता है। हमारे समाज में बेटी की कमाई खाने वाले परिवार को घटिया निगाह से देखा जाता है। शादी के बाद लड़की अपने घर चली जाती है। ऐसी स्थिति में उसके इनकम पर उसके माता–पिता का कोई अधिकार नहीं होता है लेकिन बेटे के इनकम पर माता–पिता का कानूनी एवं सामाजिक अधिकार है। हमारी संस्कृति इसकी इजाजत देती है। पुत्र को मुखाग्नि देने का अधिकार है। इससे पिता को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुरूषवादी समाज में महिलाओं की स्थिति निम्न है। दहेज प्रथा भी महत्वपूर्ण कारण है। हमारे यहां ऐसा माना जाता है कि विवाह के बाद लड़की अपने घर चली जाएगी और अपना घर संभालने में व्यस्त हो जाएगी, लेकिन उनका बेटा उनका नाम रौशन करेगा। पुत्र उनके परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। तकनीकी उन्नति ने कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा दिया है और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि गर्भपात को भारत में कानूनी मान्यता प्राप्त है।

कन्या भ्रूण हत्या के कारण कई तरह की समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं, जैसे– लिंगानुपात का कम होना। इसका प्रभाव यह पड़ा कि विवाह योग्य लड़कों के लिए लड़कियों की कमी सामने आ रही है। जनसंख्या वैज्ञानिकों का यह मानना है कि विवाह योग्य महिलाओं की संख्या में जब कमी आती है तो कम उम्र की महिला से विवाह आरम्भ हो जायेगा। इसका परिणाम यह होगा कि जन्म दर में वृद्धि होगी और जनसंख्या में इजाफा होगा। अविवाहित पुरूषों की संख्या अधिक होने से समाज के कई खतरे हैं। जैसे, लड़कियों का अगवा किया जाना, महिलाओं का शोषण और बलात्कार की घटनाएं बढ़ जाती हैं। अतएव यौन अपराधों के ग्राफ बढ़ने के पीछे लिंगानुपात भी एक महत्वपूर्ण कारण है।

किसी सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए सरकार कानून बनाती है, लेकिन केवल कानून बना देने से सामाजिक बुराई समाप्त नहीं हो जाती है। महिलाओं के प्रति भेदभाव की कहानी बहुत पहले से ही चली आ रही है। समाज में इसकी गहरी जड़ें हैं। कन्या के प्रति उपेक्षा और पुरूषों की श्रेष्ठता की अवधारणा ने समाज को बहुत ही नुकसान पहुंचाया है। इस पुरानी एवं दकियानुसी अवधारणा के विरूद्ध समाज को खड़ा होना आवश्यक है। ऐसे कुप्रथाओं के उन्मूलन के लिए समाज की संवेदनशीलता तत्काल आवश्यक है।

इसप्रकार कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सरकार, मीडिया, पत्रकारों, गैर–सरकारी संगठनों, महिला संगठनों, चिकित्सकों और जनता को साथ मिलकर संघर्ष करना होगा। धार्मिक नेताओं से भी मदद लेनी पड़ेगी। धर्मग्रन्थों के संबंध में जो भ्रान्तियां हैं, उन्हें तार्किक दृष्टिकोण से दूर करने की आवश्यकता है। कन्या विरोधी मानसिकता और कुप्रथाओं के खिलाफ अभ्यिान चलाने की जरूरत है।

कई राज्यों ने कन्याओं के लिए योजनाएं जारी की हैं। मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था, माता–पिता को नकदी देना एवं एक मुश्त राशि को फिक्स कर देना जिसकी परिपक्वता विवाह के समय में होती है। जमीनी स्तर पर स्थानीय पंचायतों को भी कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। सबसे महत्वपूण बात यह है कि महिलाओं को इस अभियान में प्रथम पंक्ति में खड़ा होना होगा।

'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' जैसे पहल केन्द्र सरकार द्वारा की गई है ताकि बेटी को गरिमामय जीवन मिल सके। भारतीय समाज के समक्ष यह गम्भीर प्रश्न है कि क्या आधुनिक होने का समस्त प्रदर्शन सिर्फ भौतिक धरातल पर ही है? आज भी लोग मानसिक तौर पर लड़का–लड़की में भेदभाव की सोंच से ग्रसित हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट ने इस संबंध में बहुत सारे तथ्यों पर प्रकाश डाला है और समाधान बताने का प्रयास किया है। लेकिन यह समाधान बताकर केवल औपचारिकता पूरी की गई है। इतना तो तय है कि इस गम्भीर समस्या का अंत केवल कानून बनाकर संभव नहीं है। सामाजिक कुप्रथाओं के खात्मे के लिए सामाजिक स्तर पर जागरूकता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

हमारी पृथ्वी ने सदा मानवता का संदेश दिया है। बेटियों की हत्या बहुत हीं दुख देती है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरूआत की थी क्योंकि इस राज्य में पूरे देश में बहुत कम लिंगानुपात (775/1000) पाया गया है। इसे देश भर के सौ जिलों में प्रभावी रूप से लागू किया गया है ताकि महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए महिला सशक्तीकरण को प्रोत्साहित करेगा।

लैंगिक अनुपात से समाज में स्त्रियों की दशा का पता लगता है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल लैंगिक अनुपात 1000 पुरूषों में 943 स्त्रियों का है। ग्रामीण अनुपात 949 का और शहरी अनुपात 923 का है। देश के अलग–अलग इलाकों में यह अलग–अलग है। इसमें सबसे ज्यादा खराब स्थिति हरियाणा की है जहां 6 साल से कम की उम्र के बच्चों का लैंगिक अनुपात 834 का है। पंजाब में 846, जम्मू–कश्मीर में 862, राजस्थान में 888 और उत्तरप्रदेश में 902 है।

लैंगिक अनुपात यह बताता है कि समाज स्त्रियों को किस रूप में देखता है। भारत में 0–6 साल वर्ग में 1000 लड़कों के बीच लिंग अनुपात में लड़कियों की संख्या में गिरावट की प्रकृति 1961 से लगातार देखी जा रही है। वर्ष 1991 के 945 संख्या के 2001 में 927 पहुंचने और 2011 में इस संख्या के 918 पहुंचने पर इसे खतरे की घंटी मानते हुए सरकार ने इसे सुधारने की कोशिशें शुरू की है। लिंग अनुपात में गिरावट सीधे तौर पर जन्म से पूर्व

लिंग की पहचान करने वाली तकनीक दुरूपयोग की ओर इशारा करती है। सरकार ने इसी को देखते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरूआत की जिसे खराब लिंगानुपात वाले जिलों में शुरू किया गया। जिन सूचकांकों पर ध्यान दिया गया उनमें कुछ इसप्रकार है– विवाह के समय की औसत आयु , बच्चे को जन्म देते समय माताओं की मृत्यु , बच्चों के जन्म के बीच की अवधि, परिवार के सदस्यों की संख्या, स्त्रियों के खिलाफ आवश्यक साक्षरता दर, श्रमिकों में स्त्रियों की संख्या और बाल लैंगिक अनुपात।

सामाजिक बदलाव के उपकरण के रूप में सरकारी कार्यक्रम का सबसे अच्छा उदाहरण– बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य बाल लिंगानुपात में कमी के मुद्दे का समाधान करना है।

वर्ष 2020–21 के बजट में कहा गया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के विस्तार को 405 जिलों में बहुस्तरीय हस्तक्षेप तथा 235 जिलों में सक्रिय जिला मीडिया तथा सहायता की पहुंच के माध्यम से सभी 640 जिलों (2011 की जनगणना के अनुसार) को शामिल करते हुए मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस कार्यक्रम में मानव संसाधन और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालयों की भी भागीदारी है। इसमें संरक्षकों को अपनी बेटियों को पढ़ाने और उन्हें ताकतवर बनाने के लिए साधनों को एकत्र करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

इसप्रकार महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु सामाजिक नजरिया बदलना आवश्यक है। इनकी सुरक्षा इसी नजरिए से तय होगी। असुरक्षित और भयभीत बालिका से हम ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। सुरक्षा का वातावरण बनाने की जिम्मेदारी पूरे समाज की है। यह काम सामाजिक शिक्षण से पूरा हो सकता है। जो लिंगानुपात देश के कई क्षेत्रों में है, वह इस सामाजिक दृष्टिकोण पर मोहर लगाना है। यह कहना कठिन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं का नारा हमारे दिलो–दिमाग में बैठा है या नहीं। पर हम व्यवहार में यदि इसे लागू कर पाते हैं तो निश्चय हीं कहानी बदलने में देर नहीं लगेगी।

संदर्भ सूची

1. उद्धृत पाण्डेय दिव्या, मानवाधिकार एवं कन्या भ्रूण हत्या, योजना, मासिक पत्रिका, अप्रैल, 2011
2. शर्मा नरेन्द्र कुमार, मादा भ्रूण हत्या, ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली
3. सहगल सुभाषिनी अली, आधी दुनिया पर बाजार का अत्याचार, दैनिक जागरण, बरेली, 13 जून, 2012
4. सिंह निशान्त, महिलाओं में आत्म सम्मान की कमी, दैनिक जागरण, रामपुर, 15 मार्च 2008
5. चन्द्रभूषण शर्मा, बालिका शिक्षा से आयेगी देश में समृद्धि, कुरूक्षेत्र, जनवरी, 2018